न्यायालय अपर जिला कलक्टर, फलोदी, जिला– फलोदी

बइजलास पीठासीन अधिकारी–**श्री गोपालराम बिरदा (आर.ए.एस.)**

राजस्व अपील संख्या 07 /2022

अपीलाण्ट		बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
1.	रमेश कुमार पुत्र रणुराम, जाति विश्नोई, निवासी– राणेरी, तहसील बाप, जिला जोधपुर (राज.)	1 2 3 4	उपतहसीलदार, शेखासर मनोहरराम पुत्र भीकाराम, बुधाराम पुत्र भीकाराम सभी जाति विश्नोई, निवासी–राणेरी, तहसील बाप, जिला जोधपुर श्रीमान् तहसीलदार, बाप

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 282 मौजा अमरपुरा, बनाराजगी आदेश दिनांक 29.07.2020 उप तहसीलदार, भू–अभिलेख शेखासर

निर्णय

दिनांक :–20.05.2024

यह है कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने एक अपील रेस्पोडेण्ट्स के विरूद्ध इस आशय की पेश की कि ग्राम अमरपुरा पटवार क्षेत्र राणेरी, तहसील, बाप जिला जोधपुर में खसरा नम्बर 24 रकबा 488 बीघा तथा खसरा नम्बर 67 रकबा 715.12 बीघा भूमि किस्म गैर मु. मगरा स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि का आवंटन दिनांक 10.09.1968 के आवंटन होना बताया गया है, जो आवंटन कार्यालय तहसीलदार, फलोदी मिसल नम्बर 357 है, जबकि इस तरह का आदेश उपलब्ध ही नहीं होने के कारण नामान्तकरण गलत रूप से स्वीकृत किया गया है। जो अ[illegible] निरस्त किये जाने योग्य है। नामान्तकरण संख्या 282 [illegible] (भू.अ.) बाप के आदेश कमांक 2020/2289 [illegible] 19.07.2020 की [illegible] में मिसल नम्बर 357 दिनांक 10.09.68 [illegible] अनुसार प्रत्यर्थीगण [illegible] पक्ष में सरासर गलत रूप से भर कर स्वीकृत किया है। उक्त नामान्तकरण आवंटन के करीब 52 साल बाद सरासर गलत तरीके से स्वीकृत

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.25 15:14:45 IST
Reason: SelfAttested

(गोपालराम बिरदा)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
फलौदी (राज.)

किया गया है, इसलिए अपीलाधीन नामान्तकरण खारिज किया जावे। उक्त भूमि पर प्रत्यर्थीगण का कब्जा व काश्त नहीं है, सरकार की बेशकीमती भूमि है, जिसकी किस्म गैर मुमकिन मगरा है। प्रत्यर्थीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं होने के तथ्यों को जानबूझ कर छुपाते हुए अपने नाम से सरासर गलत तरीके से नामान्तकरण स्वीकृत करवाकर राजाकोष का नुकसान कारित करते हुए सरकारी भूमि हड़प की गई होने से अपीलाधीन नामान्तकरण खारिज किये जाने का आदेश पारित किया जावे। कानूनन किसी नामान्तकरण को स्वीकृत करने से पूर्व प्रत्यर्थीगण के मौके पर कब्जा होने की जांच ही नहीं की गई है, बिना कब्जा की जांच किये बिना अनुचित तरिके से स्वीकृत किये गये अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किया जावे। अपीलार्थी एक सजग नागरिक है तथा सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण तथा अवैध रूप से हथियाने से रोकने हेतु अपीलार्थी कार्यवाही करने का अधिकारी है तथा हितबद्ध पक्षकार होने के कारण अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। जिस पर यह अपील पेश की व धारा 5 म्याद प्रार्थना पत्र भी पेश किया। अंत में अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपील स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्यां 282 को अपास्त किया जावे।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज की जाकर रेस्पोडेण्टगण को जरिये नोटिस तलब किया, जिसमें बाद तामिल रेस्पोडेण्ट्स संख्यां– 2 व 3 की तरफ से राजेन्द्रसिंह सोलंकी ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेज व मूल रेकॉर्ड नामान्तकरण संख्यां 282 मौजा अमरपुरा का अवलोकन करने के बाद पाया कि उप तहसीलदार, भू–अभिलेख, तहसील शेखासर द्वारा दिनांक 29.07.2020 को नामान्तरण को स्वीकृत किया गया है, उक्त नामान्तरण राजकीय भूमि से आवंटन आदेश कार्यालय तहसीलदार भू–अभिलेख, बाप के आदेश क्रमांक/भू–अभिलेख/2020/2289 दिनांक 19.07.2020 की पालना में मिशल संख्यां 357, दिनांक 10.09.1968, कार्यालय तहसीलदार, फलोदी के अनुसार नामान्तरकरण [illegible] पटवारी द्वारा भरे जाने पर बाद भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट स्वीकृत किया हुआ है। चूंकि उक्त नामान्तकरण सक्षम अधिकारी के आदेश से भरा गया है। जिसमें कोई त्रुटि नजर नहीं आ रही है। हालांकि उक्त नामान्तकरण सरकारी गै.मुमकिन मगरा से आवंटी काश्तकार रेस्पोडेण्ट संख्यां 2 व 3 के नाम से म्युटेशन भरा गया है जिसमें अपीलाण्ट का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.25 15:14:45 IST
Reason: SelfAttested

फलोदी

गोपालविड़ा
अति.जिला मजिस्ट्रेट
फलौदी (राज.)

हित प्रभावित नहीं हो रहा है और ना ही अपीलाण्ट हितबद्ध पक्षकार है। अपीलाण्ट को अपील पेश करने का कोई लोक्सस्टेण्डाई नहीं है। कानूनन नामान्तकरण को चुनौति देने की म्याद एक माह ही है। उक्त हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट ने करीबन 19 महिने बाद उक्त अपील पेश की है। जिसमें देरीना अपील पेश करने का अपीलाण्ट ने कोई ठोस कारण भी नही बताया है तथा अपीलाण्ट उक्त नामान्तकरण संख्या 282 मौजा अमरपुरा में पक्षकार नहीं था। इसलिए अपीलाण्ट ने अपील पेश करने से पूर्व धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर अपील पेश करने की अनुमति भी प्राप्त नहीं की है। इससे यह साबित होता है कि अपीलाण्ट ने निराधार आधारों पर अपील पेश की है तथा अपीलाण्ट ने जिस नामान्तकरण को चुनौति दी है, वह किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है और ना ही विधि विरूद्ध है। क्योंकि उक्त नामान्तकरण सक्षम अधिकारी के आवण्टन आदेश एवं तहसीलदार बाप के आदेश के आधार पर भरा गया है। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता एवं अवैधिकता नहीं है। ऐसे में अपीलाण्ट की अपील निराधार एवं म्याद बाहर होने से तथा धारा 96 सी.पी.सी. की अनुमति लिए बिना पेश किए जाने से अपील अपीलाण्ट एवं धारा 5 म्याद का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील निराधार होने से एवं धारा 5 म्याद का प्रार्थना पत्र म्याद बाहर होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा उप तहसीदार भू–अभिलेख शेखासर द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्यां 282 मौजा अमरपुरा को यथावतन रखने के आदेश दिए जाते है, पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.25 15:14:45 IST
Reason: SelfAttested

अति.जिला मजिस्ट्रेट

(...राज (आर.ए.एस.)

अति. जिला कलक्टर,

फलोदी